



2026:AHC:25906

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3110/2026

रोहित वर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : ओम प्रकाश यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर-3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि एफ.आई.आर. में और साथ ही धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए उसके बयानों में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी के झूठे वादे पर आवेदक ने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए, लेकिन उसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता लगभग 27 वर्ष की वयस्क महिला है। अभियोजन पक्ष के संपूर्ण बयान से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता का आवेदक के साथ संबंध था और उनके बीच जो भी यौन संबंध विकसित हुए वे सहमति से थे, इसलिए, बी.एन.एस. की धारा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



69 के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि उनका संबंध छह साल से अधिक समय से था और पीड़िता द्वारा इस संबंध में कोई पूर्व शिकायत दर्ज नहीं की गई है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को झूठे और तुच्छ आरोपों के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त मकसद से इस मामले में फंसाया गया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में, कि आवेदक ने उसका अश्लील वीडियो क्लिप बनाया था, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो बरामद नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता को साबित करने के लिए कई अन्य दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके बारे में अधिवक्ता का मानना है कि उन्हीं के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष निष्ठापूर्वक उपस्थित रहेगा और न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह यह तर्क देता है कि आवेदक 20.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बी.एन.एस. की धारा 69 के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक रोहित वर्मा को मुकदमा अपराध संख्या 285/2025, धारा 376, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन- नवाबाद, जिला- झांसी में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका भरने और समान राशि के दो स्थानीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"